प्रेस नोट **05/04/2016**

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ने अपने परिपत्र सं0 1516062 दि0 28–01–2016 द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया। फलतः केन्द्रीय फार्म सी/एफ/ई–1/ई–2 प्रत्येकतिमाही के अगली तिमाही के अन्त तक न जमा करने वाले पंजीकृत व्यापारियों को समय देने या बाद में नियमानुसार जमा करने की व्यवस्था विभागीय अधिकारियों ने समाप्त कर दी है। इससे वैधानिक और प्रक्रियाग्रस्त संकट प्रदेश के समस्त व्यापारियो के समक्ष उपस्थित हो गया है। इसके अनुगमन में अधिकारी फार्म सी/एफ/ई–1/ई–2 प्रस्तुत न करने के आधार पर मांग सृजित कर रहे है जो अनावश्यक उत्पीड़न है और विधि से समर्थित भी नहीं है तथा 1956 से चली आ रही विधिक व्यवस्था के प्रतिकूल है। उक्त निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पालन किये जाने से व्यवसाय जगत आन्दोलित है।

कमिष्नर केन्द्रीय अधिनियम एवं नियमावली की व्यवस्थाओं में ऐसा मूलभूत परिवर्तन करने के लिए विधिक रूप से सक्षम नहीं है जैसा कि उन्होंने उक्त परिपत्र के माध्यम से आदेशित किया।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने **सर्वश्री सोनी इण्डिया प्रा0 लि0 बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एण्ड अदर्स**, रिट संख्या896/2015, निर्णय दिनांक 18ण्11.2015 के वाद में यह निर्णय दिया कि केन्द्रीय अधिनियम एवं नियमावली पंजीकृत व्यापारी द्वारा फार्म सी अगली तिमाही तक फार्म सी/एफ/ई–1/ई–2 प्रस्तुत किये जाने की निर्देशात्मक व्यवस्था करता है और यह प्रतिबन्धात्मक नहीं है। निदेशषात्मक व्यवस्था विधि में वह है जिसके पालन की अपेक्षा की जाती है और प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था में पालन अनिवार्य है अन्यथा दण्डात्मक व्यवस्था भी होती है

अतः परिपत्र अविलम्ब वापस होना चाहिए।

व्यवस्था यह है कि किसी भी स्तर पर यदि सम्बंधित अपीलीय अधिकारी का समाधान हो जाये कि फार्म सी/एफ/ई–1/ई–2 समय से प्रस्तुत न करने के यथोचित कारण हैं तो ग्राह्य हैं। भारत के अन्य सभी राज्यों में इस केन्द्रीय प्रावधान की व्याख्या भी निर्देशात्मक रूप में ग्रहण की गई है और कहीं भी तिमाही के पश्चात फार्म सी/एफ/ई–1/ई–2 प्रस्तुत न करने पर अस्थाई कर निर्धारण नही किया जाता है वर्ष 2014 तक उ0प्र0 मे भी नही किया गया किन्तु राजस्व संग्रह लिये इस विधि विरूद्ध मार्ग को अपनाया गया है।

सधन्यवाद,

नरेन्द्र **शर्मा**
(एडवोकेट)
चेयर मैन, ट्रेड कमेटी मर्चेन्ट चैम्बर आफ यू0पी0,
कानपुर

ऐ0के0सिन्हा
सचिव
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश
कानपुर

प्रेस-विज्ञप्ति 05/04/2016

केन्द्रीय बिक्री से सम्बन्धित फॉर्म 'सी' दाखिल करने के लिए समय न दिये जाने से कारोबारियों में रोष।

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2016 को प्रेषित परिपत्र संख्या "विधि-4(2)/ अधिनियम/नियमावली/2375/1516062" में उत्तर प्रदेश के समस्त व्यापारियों के सम्मुख केन्द्रीय Form-C की जमातिथि आगे न बढ़ाने से उत्पन्न हुई समस्या के विषय में एक प्रेस-कांफ्रेंस का आयोजन किया गया |

उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड व्यापारियों द्वारा प्रदेश के बाहर बेचे जाने वाले माल के एवज में केन्द्रीय कर मुक्ति फॉर्म 'सी' जो कि प्रदेश के बहर के क्रेता व्यापारियों द्वारा जारी किया जाता है, को वाणिज्य कर विभाग में दाखिल करने हेतु समय न दिये जाने से व्यापारियों में रोष व्याप्त है।

यह जानकारी देते हुए श्री सुशील शर्मा, सलाहकार, उद्योग समिति, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने बताया कि प्रदेश के व्यापारियों द्वारा केंद्रीय बिक्री के एवज में प्रदेश के बाहर के व्यापारियों से कर मुक्ति फॉर्म 'सी' प्राप्त करके प्रत्येक तिमाही की बिक्री के लिए अगले तिमाही को समाप्त होने से पहले दाखिल किया जाना चाहिए किन्तु इस सम्बन्ध में यह भी प्रावधान है कि व्यापारियों द्वारा आवेदन कर उचित कारण बताने पर कर निर्धारण अधिकारी को व्यापारी को यथोचित समय देना चाहिए। इसके अलावा इस फॉर्म को दाखिल करने की प्रक्रिया कर निर्धारण के समय भी पूरी की जा सकती है।

अभी हाल ही में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा एक परिपत्र जारी कर फॉर्म 'सी' दाखिल करने के मामले में समय देने के लिए सख्ती की हिदायत दी गयी है। किन्तु कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है की व्यापारी द्वारा उचित कारण बताने पर समय नहीं जाएगा। वैसे भी प्रदेश के वे रजिस्टर्ड व्यापारी जो कि केन्द्रीय बिक्री करते है अपने मासिक रिटर्न फॉर्म-1 में केन्द्रीय बिक्री की सूची दाखिल करते है। वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा क्रेता व्यापारी का पूर्ण विवरण व् इसका सत्यापन विभाग सम्बन्धित राज्य की वेबसाइट से प्राप्त कर सकता है।

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा वाणिज्य कर विभाग से यह मांग की जाती है कि उक्त परिपत्र की आड़ में व्यापारियों को समय न देकर उनका उत्पीड़न न किया जाए तथा इस सम्बन्ध में तुरंत दिशा निर्देश दिये जाए। और इस परिपत्र को वापस लिया जाय।

आयोजित प्रेस-कांफ्रेंस में मर्चेंट्स चैम्बर के अध्यक्ष डॉ0 आई0एम0 रोहतगी एवं उपाध्यक्ष श्री पदम् कुमार जैन, एवं मर्चेंट्स चैम्बर के इंडस्ट्री कमिटी के चेयरमैन श्री प्रेम मनोहर गुप्ता ने भी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किये गए परिपत्र संख्या 1516062 के आदेश का विरोध किया।

सधन्यवाद,

सुशील शर्मा
सलाहकार, उद्योग समिति
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश

ऐ0के0 सिन्हा
सचिव
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश